

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
उदयपुर एवं समन्वयक।

विषय:-एस.बी.सि.अवमानना याधिका संख्या: 353/2015 (अन्तर्गत एस0बी0 सि0 रिट  
याधिका संख्या 8565/2014) मनोहर लाल जिनगर व अन्य (एमपीडब्ल्यू घयनित  
वेतनमान से संबंधित) बनाम श्री मुकेश शर्मा, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं  
स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर व अन्य।

उपरोक्त विषयान्तर्गत उक्त अवमानना प्रकरण में प्रत्यर्थागण की ओर से आपको समन्वयक एतद् द्वारा  
नियुक्त किया जाता है। अतः आप इस प्रकरण के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय,  
जोधपुर से सम्पर्क कर अवमानना प्रकरण का जवाब तैयार करवाकर माननीय न्यायालय में पेश कराने की  
कार्यवाही करावें जिससे इस प्रकरण का निस्तारण हो सकें।

प्रकरण में पारित निर्णय की पूर्ण पालना सक्षम स्तर से कराये जाने हेतु प्रमुख शासन सचिव,  
चिकित्सा एवं स्वा0 विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.7( )/निधिस्वा/विधि/  
.10/513 दिनांक 24.02.10 की छाया प्रति संलग्न कर लेख है कि पारित निर्णय की पालना संबंधी दायित्व  
का निर्वहन करते हुये प्रकरण में आप द्वारा की गई कार्यवाही से राज्य सरकार एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता को  
समय-समय पर अवगत कराते रहे।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

निदेशक (जिन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक:- 18-8-15

क्रमांक: प.7(1066)/निधिस्वा/विधि/अव./2015/1274  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव (विधि), राजस्थान सरकार को प्रेषित कर निवेदन है कि प्रकरण में, अतिरिक्त महाधिवक्ता,  
राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को पैरवी हेतु नियुक्त करने का श्रम करें।
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), मुख्यालय को मय अवमानना याधिका की प्रति संलग्न प्रेषित कर लेख है कि  
समन्वयक को आवश्यक जवाब हेतु तथ्यात्मक स्थिति से अवगत करावें। साथ ही निर्णय की नियमानुसार  
पालना/अपील/नो अपील की कार्यवाही करना सुनिश्चित कराने का श्रम करें। संलग्न-उपरोक्तानुसार।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जोधपुर/उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वर्णित केस  
प्रभारी अधिकारी/समन्वयक आदेश संबंधित केस प्रभारी अधिकारी/समन्वयक को तामिल करवाकर तामिल  
रसिद भिजवाना सुनिश्चित करें तथा प्रकरण की प्रगति को समय-समय पर लाईटस की वेबसाईट पर अपडेशन  
करवाना सुनिश्चित करें।
4. अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
5. श्री अनिल कुमार बिस्सा, एडिशनल गवर्नमेंट कौंसल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को भेजकर लेख है  
कि अतिरिक्त महाधिवक्ता की नियुक्ति होने तक विभाग की ओर से प्रतिरक्षण/दांछित कार्यवाही करावें।
6. डीलिंग असिस्टेंट, उच्च न्यायालय जोधपुर, विधि अनुभाग, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि प्रकरण में पारित  
निर्णय के संबंध में अग्रिम कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें।
7. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को वास्ते विभाग की साईड पर अपलोड करने एवं संबंधित संयुक्त निदेशक,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर तथा संबंधित अधिकारियों को ई-मेल करने बाबत।
8. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, विधि अनुभाग, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि प्रकरण का ईन्द्राज लाईटस पर कर  
पालना से अवगत करावें।
9. रक्षित पत्रावली।

सहायक विधि परामर्शी  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।